कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1994

सा. का. नि. 134.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 18 सितम्बर, 1993 के पृ. 1399 पर प्रकाशित भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 461, तारीख 30 अगस्त, 1993 में,—

(1) प्रथम परन्तुक में, "15 सितम्बर, 1993 के दिन" के स्थान पर "25 सितम्बर, 1993" पढ़ें ।

(2) द्वितीय परन्तुक में, "15 सितम्बर, 1993 के दिन के पहले और 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पायनियर के रूप में भर्ती या पुनः पदाभिहित किया गया समूह "घ" कर्मचारी " के स्थान पर "25 सितम्बर, 1993 के पहले पायनियर के रूप में भर्ती या, पुनः पदाभिहित किया गया समूह "घ" कर्मचारी, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर," पढ़ें ।

[संख्या 25012/2/86—स्था. (क)]

वी. नटराजन, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Deptt. of Personnel & Training)

CORRIGENDA

New Delhi, the 3rd February, 1994

G.S.R. 134.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel and Traiing) number G.S.R. 461, dated the 30th August, 1993 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th September, 1993, at page 1400,—

(i) in line 10,—
for "proviso" read "provisos"

(ii) in line 14,—
(a) for "(GRPF)" read "(GREF)"; and
(b) for "1953" read "1993".

[No. 25012/2/86-Estt.(A)]

V. NATARAJAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1987 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(i) भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 कहा जाएगा ।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता (समूह "ग" पद) नियम, 1987 की अनुसूची में क्रम संख्या 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

"लेखाकार"

[एफ. संख्या 11/13/93—सिक्का 1)]

शालिनी प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दि. 3-1-1987 की सा. का नि. संख्या 7 के अनुसार प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 10th January, 1994

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President here by makes the following rules further to amend to India Government Mint, Calcutta (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1987 namely :—

(i) There rules may be called the India Government Mint, Calcutta (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to India Government Mint, Calcutta (Group 'C' posts) Rules, 1987 for serial number 2 the following entry shall be substituted against the existing entry :—

"Accountant"

[File No. 11/13/93-Coin. I]

SHALINI PRASAD, Under Secy.

Footnote:—Principal Rules were published vide GSR No. dated 3-1-1987.

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 136.—इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 27(3) के साथ पठित, इ.गां.रा.मु.वि. अधिनियम, 1985 (1985 का 50) की धारा 27 के अन्तर्गत प्रबंध बोर्ड प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 जनवरी, 1991 के राजपत्र साधारण सांविधिक नियम 42 में अधिसूचित "प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों के लिये विनियम" में खंड 1, 6, 12 तथा नये खंड 13 में संशोधन/परिवर्धन करता है :—

उपर्युक्त उल्लिखित खंडों को संशोधन तथा परिवर्धन के पश्चात् इस प्रकार से पढ़ा जायेगा।

"1. प्रबंध बोर्ड की बैठक की तिथि कुलपति द्वारा निर्धारित की जाएगी जो बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

6. जब प्रबंध बोर्ड की बैठक विधिवत् बुलाई गई हो और बैठक के लिये निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर यदि कोरम पूरा नहीं होता तो बोर्ड के सदस्यों के निर्णय के अनुसार अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय या ऐसे ही अन्य दिन, अन्य समय तथा स्थान के लिये बैठक स्थगित कर दी जायेगी/स्थगित तथा बैठक की सूचना प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों को भेज दी जायेगी । यदि निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर कोई कोरम पूरा नहीं होता तो उपस्थित सदस्यों द्वारा ही कोरम निर्मित होगा।

12. विनियमों में संशोधन, निरसन तथा परिवर्धन करने की शक्ति प्रबंध बोर्ड में निहित है।

13. ये विनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी तिथि से प्रवृत्त होंगे"

[सं. जी./विनि./2/90]
क. नारायणन, कुल सचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 23rd February, 1994

G.S.R. 136.—In exercise of the powers vested with it, under Section 27 of the IGNOU Act, 1985 (50 of 1985), read with Statute 27 (3) of the Statutes of the University, the Board of Management makes amendments/additions to Clauses, 1, 6 12 and a new Clause 13, in the "Regulations for the meetings of the Board of Management" notified in the Gazette GSR-42 dated the 19th January, 1991:—

The Clauses referred above would read as below after amendment/addition:

"1. The date for a meeting of the Board of Management shall be fixed by the Vice-Chancellor, who is the Chairman of the Board.

6. Where a meeting of the Board of Management has been duly convened and no quorum is present within half an hour of the time appointed for the meeting, the meeting will be adjourned to the same day and time in the next week or to such other day and at such other time and place, as the members of the Board may decide, and notice for the adjourned meeting shall be sent to all the members of the Board of Management. If no quorum is present at an adjourned meeting within half an hour of the appointed time, the members present shall constitute the quorum.

12. The power to amend, repeal or add to these Regulations shall vest with the Board of Management.

13. These Regulations shall come into force from the date of their approval by the Board of Management."

[No. G/Regu. 2/90]
K. NARAYANAN, Registrar

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 के उपबंधों का अनुसरण करते हुए, भारतीय खान ब्यूरो में निवास-स्थान के आबंटन की बाबत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खान ब्यूरो (निवास-स्थान) का आबंटन नियम, 1993 है।

(2) ये ऐसें आवासीय भवनों के आबंटन और सभी के प्रबंध को लागू होंगे जो भारतीय खान ब्यूरो के प्रादेशिक, उप प्रादेशिक या मुख्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और जो उन प्रादेशिक, उप प्रादेशिक या मुख्यालयों में नियोजित अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को आबंटित किए जाने के लिए हैं।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाए :—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "आबंटन" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निवास-स्थान के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है।

(ख) "आबंटन वर्ष" से 1 जनवरी को प्रारंभ होने वाला और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए।

प्रत्येक आबंटन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, नए सिरे में आवेदन मांगना अपेक्षित है।

(ग) "महा नियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो का, जो कि भारत सरकार, खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, प्रधान अभिप्रेत है।

(घ) "प्राधिकृत अधिकारी" से महानियंत्रक द्वारा इन नियमों के निबंधनों के अनुसार उसके निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(ङ) "पात्र अधिकारी" से भारतीय खान ब्यूरो के ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत हैं जो उस वर्ग/टाइप के निवास-स्थान के आबंटन के लिए पात्र हैं, जो उन्हें नियम 5 के अधीन अनुज्ञेय है और जो उस स्टेशन पर जहां निवास-स्थान स्थित है ड्यूटी पर निवास करने के लिए अपेक्षित हैं।

(च) "उपलब्धि" से मूल नियम के नियम 9 के उपनियम (21) के खंड (क) के अधीन यथा परिभाषित वेतन अभिप्रेत है;

IndiaCode